अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

4.1 निधियों का अवरोधन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) मार्च 2000 में इसके द्वारा प्राप्त की गई भूमि पर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दो विस्तारों के बावजूद भी, पुरातत्व संस्थान का निर्माण करने में विफल रहा। यह, प्राधिकरण द्वारा नवम्बर 2012 में प्लाट के आवंटन के रद्द किये जाने तथा दण्ड लगाए जाने का कारण बना। भा.पु.स. का निरूत्साही दृष्टिकोण भी परियोजना उद्देश्यों की अप्राप्ति के अतिरिक्त ₹2.61 करोड़ के परिहार्य भुगतान तथा ₹3 करोड़ की निधियों के अवरोधन का कारण बना।

लाल किला, दिल्ली में स्थित पुरातत्व संस्थान (संस्थान) को, पुरातत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा अनुसंधान हेतु, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) की सीमा के अंतर्गत, 1985 में स्थापित किया गया था।

चूंकि संस्थान के पास उपलब्ध स्थान इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं था तथा अधिग्रहित भवन को भी बड़ी मरम्मतों की आवश्यकता थी इसलिए भा.पु.स. ने एक नए संस्थान परिसर की स्थापना करने हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (प्राधिकरण) से ₹4.77 करोड़[1] की लागत पर 25 एकड़ भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव किया (मार्च 1998)। उद्देश्य हेतु भूमि मार्च 2000 में आवंटित की गई थी तथा भा.पु.स. ने दिसम्बर 2004 में प्लाट हेतु पट्टा करार किया। पट्टा करार के अनुसार, प्रस्तावित इमारत का निर्माण, आवंटन से दो वर्ष के भीतर समाप्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2005 तक, भा.पु.स. ने आवंटित भूमि के चारों ओर, विभागीय रूप से, केवल सीमा दीवार तथा ग्रिल फेन्सिग के निर्माण

---

[1] मूल लागत के प्रति ₹3.74 करोड़ जमा 11 वर्ष के पट्टे के रूप में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात् ₹1.03 करोड़। भुगतान फरवरी 1999 (₹3 करोड़) तथा मार्च 1999 (₹1.77 करोड़) में किए गए थे।

कार्य को करने का प्रयास किया। नवम्बर 2005, प्राधिकरण ने भा.पु.सं. को निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने हेतु एक नोटिस दिया। बाद में, (अगस्त 2006) भा.पु.स. ने इमारत हेतु संकल्पना योजना तैयार करने का कार्य एक फर्म[2] को सौंपा। इसके बाद जुलाई 2007 में सीमा दीवार के निर्माण कार्य को के.लो.नि.वि. को आवंटित किया गया था। भा.पु.स. के अनुरोध पर, प्राधिकरण ने निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु दिसम्बर 2008 तक समय का विस्तार प्रदान किया (सितम्बर 2007)। तथापि, अक्तूबर 2008 तक भा.पु.स. केवल सीमा दीवार का निर्माण ही पूरा कर सका था। भा.पु.स. ने फिर से समय के विस्तार की मांग की (नवम्बर 2008) जिसे प्राधिकरण द्वारा जून 2009 में स्वीकार किया गया था। बढ़ाई गई समय सीमा के अनुसार, निर्माण कार्य दिसम्बर 2010 तक समाप्त किया जाना था।

फर्म ने, मई 2009 में, परियोजना हेतु ₹109 करोड़ के प्रारम्भिक अनुमान सहित संकल्पना योजना प्रस्तुत की जिसके आधार पर भा.पु.स. ने निर्माण की डिजाईनिंग तथा विस्तृत आरेखण तैयार करने हेतु, हित की अभिव्यक्तियां (हि.अ.) आमंत्रित की (सितम्बर 2009)। भा.पु.स. द्वारा हि.अ. दस्तावेजों के मूल्यांकन हेतु गठित मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की (मई 2010) कि परियोजना को निष्पादन हेतु के.लो.नि.वि. को सौंपा जाए। तदनुसार, जून 2010 में परियोजना के.लो.नि.वि. को स्थानांतरित की गई। इस प्रकार छः वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात् भा.पु.स. केवल कार्यकारी अभिकरण केा अंतिम रूप देने की व्यवस्था कर सका। मार्च 2012 तक के.लो.नि.वि. ने डिजिटल सर्वेक्षण, स्थल योजना तैयार की थी तथा मिट्टी जांच की। भा.पु.स. ने मार्च 2012 तक प्लाट की संकल्पना योजना, आरेखण, सीमा दीवार तैयार कराने तथा निगरानी एवं अभिरक्षण प्रबंधन पर ₹83 लाख का व्यय भी किया था।

---

[2] मेसर्स एच्युकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लि.

यद्यपि, प्राधिकरण द्वारा अनुमत समय-विस्तार जनवरी 2011 में समाप्त हो गया था, फिर भी यह केवल जून 2012 में जाकर ही था कि भा.पु.स. ने प्राधिकरण को आगे और समय के विस्तार हेतु आवेदन किया। प्राधिकरण 15 दिनों के भीतर ₹18.77 लाख के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर, दिसम्बर 2014 तक समय को बढ़ाने को सहमत हुआ (अगस्त 2012)। तथापि, भा.पु.स. विलम्ब शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा तथा आखिरकार प्राधिकरण ने भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया (नवम्बर 2012)। प्राधिकरण ने दण्ड के कारण ₹1.78 करोड़ की कटौती करने के पश्चात दिसम्बर 2012 में डिमान्ड ड्राफ्ट (डि.ड्रा.) द्वारा भा.पु.स. को ₹2.99 करोड़ की राशि वापिस की, परंतु बाद में इसे बैंक में जमा किया गया था तथा इस प्रकार डि.ड्रा. को समाप्त होने दिया गया, जिसका परिणाम निधियों के अवरोधन में हुआ। इस कारण 8 प्रतिशत की औसतन भा.स. उधार दर पर भारत की समेकित निधि पर ब्याज प्रभाव कुल ₹36 लाख था।

भा.पु.स. ने बताया (फरवरी 2014) कि भूमि के पुन: आवंटन हेतु मामले का अनुसरण किया जा रहा था तथा इसने विलम्ब को माफ करने तथा समय का विस्तार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अनुरोध किया था।

संबंधित दस्तावेजों की अनुवर्ती जांच ने उजागर किया कि भा.पु.स. के अनुरोध को प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था तथा प्राधिकरण से ₹19.96 करोड़ की अनुमानित लागत पर भूमि का एक दूसरा प्लाट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भा.पु.स. के विचाराधीन था (जून 2014)। इस उद्देश्य हेतु स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) के प्रस्ताव को भा.पु.स. द्वारा मई 2014 में प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार, भा.पु.स. का निरूत्साही दृष्टिकोण, जिसके परिणाम भूमि के आवंटन से 12 वर्षों के पश्चात भी परियोजना के गैर-समापन में हुआ था, भूमि के आवंटन के रद्दीकरण का कारण बना। वास्तविक भूमि तथा अब प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की प्रति वर्ग मीटर दर के बीच अंतर के आधार

पर, भा.पु.स. पर परिणामी अतिरिक्त भार दस गुना[3] से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त, भा.पु.स. ने कुल ₹2.61 करोड़ (दण्ड के प्रति ₹1.78 करोड़ तथा विविध व्यय के प्रति ₹0.83 करोड़) का परिहार्य भुगतान भी किया था।

अबोध्य विलम्ब पहले ही पर्याप्त समय तथा परियोजना लागत वृद्धि का कारण बन चुका है जबकि संस्थान के स्थान प्रतिबंध को कम करने का उद्देश्य भी अपूर्ण रहा।

मामला फरवरी 2014 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

4.2 स्वायत्त निकायों से स्टाफ का अनियमित संयोजन

संस्कृति मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों से स्टाफ का संयोजन करने की अनियमित प्रक्रिया को अपनाया। अक्तूबर 2003 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 22 स्वायत्त निकायों ने मंत्रालय में संयोजित 85 कर्मचारियों/संविदात्मक स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹3.66 करोड़ का व्यय किया था।

संस्कृति मंत्रालय में सभी संवगों में 306 कर्मचारियों का कुल संस्वीकृत कार्यबल था जिसके प्रति 205 कार्मिक मार्च 2013 तक तैनात थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि मानव शक्ति की कमी को मुख्य रूप से मंत्रालय द्वारा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों (स्वा.नि.) से कर्मचारियों[4] का संयोजन करके व्यवस्थित किया गया था।

मंत्रालय में इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 35 स्वायत्त निकाय थे जिसमें से मंत्रालय द्वारा निम्न ब्यौरे के अनुसार 22 स्वा.नि. से 85 कर्मचारी संयोजित किये गये थे:-

---

[3] एक एकड़ बराबर होता है 4046.86 वर्गमीटर। किये गये ₹4.77 करोड़ के भुगतानों पर आधारित वास्तविक भूमि की लागत ₹471.47 प्रति वर्ग मी. बनती है जबकि इसके विकल्प में अब प्रस्तावित भूमि जिसका अधिग्रहण करना है की लागत ₹4905 प्रति वर्ग मी. होगी।

[4] स्थाई तथा संविदात्मक दोनों

क्षेत्र	अवधि	स्वा.नि. की कुल संख्या जिसमें से कार्मिक का संयोजन किया	संयोजित कर्मिकों की संख्या	संशक्ति स्वा.नि. द्वारा उत्पन्न वेतन एवं भत्ते (रू लाख में)
दिल्ली	जून 2004 से फरवरी 2014	10	62	287.00
दिल्ली से बाहर	अक्तूबर 2003 से फरवरी 2014	12	23	79.32
			कुल	**366.32**

पांच स्वा.नि. (दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, सांस्कृतिक साधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा राष्ट्रीय स्मारक संग्राहलय एवं पुस्तकालय) में स्टाफ की कमी थी तथा संगठन के प्रभावी कार्य करने हेतु, संविदात्मक स्टाफ की नियुक्ति की गयी थी, जबकि इन स्वा.नि. के स्टाफ का संयोजन मंत्रालय में किया गया था।

नियुक्त स्टाफ का उपयोग मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों को सौंपे गए नियमित कार्यों को पूरा करने हेतु किया जा रहा था तथा ऐसी नियुक्ति की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी। संयोजित स्टाफ में सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक, डाटा इंटरी ऑपरेटर, उच्च श्रेणी लिपिक, आनुषगिक आदि शामिल थे। कुछ मामलों में संविदात्मक स्टाफ मंत्रालय में पिछले 10-11 वर्षों से कार्य कर रहा था। किसी भी निर्धारित दिशानिर्देशों के अभाव में ऐसे अनियमित परिनियोजनाओं पर कोई केन्द्रीकृत सूचना मंत्रालय स्वा.नि. में उपलब्ध नहीं थी। कार्मिक के संयोजन का ₹3.66 करोड़ का वित्तीय प्रभाव था। विवरण **अनुबंध I तथा II** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि विभिन्न संवर्गों में भारी रिक्तता थीं तथा स्टाफ संख्या में, बिना किसी वृद्धि के, कार्यभार काफी बढ़ गया था। इसलिए बढ़े हुए कार्यभार, विशेष रूप से स्वा.नि. के संबंध में, को पूरा करने हेतु मंत्रालय इन संगठनों से स्टाफ संयोजित करने हेतु बाध्य था।

उत्तर एक गलत प्रक्रिया का एक खराब युक्तिकरण है। स्वायत्त निकायों से स्टाफ के संयोजन को स्टाफ संख्या में कमी को पूरा करने हेतु, एक वैध तथा व्यवहार्य माध्यम के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्वायत निकाय के पास अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा करने हेतु अपना स्वयं का बजट तथा मानवशक्ति प्रावधान है। स्वा.नि. से स्टाफ का संयोजन करने की वर्तमान प्रक्रिया का ऐसे स्वा.नि. द्वारा सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। मंत्रालय लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रकाश में वर्तमान प्रबंध की समीक्षा करें तथा मामले में उपयुक्त कार्रवाई करें।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

4.3 निधियों का अवरोध

'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' (इं.गां.रा.क.के.) का अतिथि गृह यद्यपि 2001 में बन गया था पर मार्च 2014 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका था, जो ₹ 7.93 करोड़ की पूंजी के अवरोध में प्रतिफलित हुआ।

श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, (इं.गां.रा.क.के.) संस्कृति मंत्रालय की कला के सभी रूपों के अध्ययन एवं अनुभव हेतु एक स्वायत्त संस्थान है। नई दिल्ली में इसके सांस्थानिक भवनों के निर्माण हेतु 24.706 एकड़ भूमि इसे आवंटित की गयी (अगस्त 1996) थी। इं.गां.रा.क.के. के भवन परिसर में इं.गां.क.के. के पांच प्रभागों हेतु आठ एकीकृत भवनों एवं तीन प्रेक्षागृहों वाले एक राष्ट्रीय थियेटर परिसर के निर्माण की परिकल्पना थी। परिकल्पित आठ भवनों में से, 'कलानिधि-कलाकोश-साझे संसाधन- क' नामक केवल एक ही भवन के निर्माण-कार्य को ही शुरू किया

जा सका। भवन में 2370 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक अतिथि-गृह कक्ष भी था तथा इसका निर्माण ₹7.70 करोड़[5] की अनुमानित लागत पर किया गया था। यह खंड 24 कमरे, रसोई-घर, एक सम्मेलन कक्ष एवं अन्य सुविधाओं से लैस था।

अतिथि-गृह के साथ 'कलानिधि' भवन को नवंबर 2001 में खोला गया था। हालांकि, अतिथि गृह कथित रूप से फर्नीचर एवं रसोई-घर के उपकरणों के लिए धन के अभाव के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका था। नवम्बर 2006 में इं.गां.रा.क.के. की कार्यकारिणी समिति ने अतिथि गृह को चलाने के लिए बोलियाँ आमंत्रित करने का निर्णय लिया और जुलाई 2010 में अतिथि गृह के प्रबंधन, परिचालन, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु एक संस्था[6] को नियुक्त किया।। इं.गां.रा.क.के. ने अथिति गृह को संस्था द्वारा परिचालन हेतु तैयार करने के लिए ₹23 लाख का व्यय भी किया।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, संस्था को अतिथि गृह के उपयोग हेतु इं.गां.रा.क.के. को त्रैमासिक आधार पर ₹30.33 लाख के उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना था। संस्था ने अतिथि गृह को सुसज्जित किया (अगस्त 2011) एवं उसे चलाने के लिए अग्नि सुरक्षा-प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। हालॉकि अतिथि गृह को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) से अनुमति मिलने में विलंब के कारण खोला नहीं जा सका था। न.दि.न.प.[7] ने इं.गां.रा.क.के. को परिसर की यथास्थिति बनाये रखने और इसे अतिथि गृह या होटल के रूप में उपयोग नहीं करने का निर्देश किया (फरवरी 2012) क्योंकि पट्टा-विलेख में परिसर के किसी प्रकार के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक गतिविधि हेतु उपयोग की अनुमति नहीं थी। संस्था द्वारा अतिथि गृह के

---

5 भवन की कुल कीमत को कुल क्षेत्रफल से भाग कर प्राप्त किए गये ₹32515.24 प्रति वर्ग मी. के दर के आधार पर परिकलित

6 मैसर्स आरेस्को एस्टेट प्रा.लि.

7 सर्वोच्च न्यायलय द्वारा गठित मानीटरिंग समिति के दिल्ली में जब्ती अभियान के देखने के निर्देशों के अनुसार।

परिचालन का मामला, अभिकरण द्वारा सं.ज्ञा. के उल्लंघन के बाद मध्यस्थता के अधीन है, जो न.दि.न.प. द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के निर्णय का कारण बना।

इस प्रकार, लगातार विलंबों एवं व्यवसायिक आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा अतिथि गृह को चलाने का अविवेकी निर्णय, ₹7.93 करोड़ की लागत से बने अतिथि-गृह के विगत 13 सालों से बेकार पड़े रहने का कारण बना।

इंगित (जनवरी 2014) करने पर इं.गां.रा.क.के. ने बताया (मार्च 2014) कि अतिथि गृह विद्युतीय भार के प्रावधानों एवं अन्य समापन कार्यों के पूरा नहीं होने के कारण अधूरा रहा था। इं.गां.रा.क.के. ने आगे बताया कि परिचालन में विलम्ब मुख्यत: संस्था द्वारा स.ज्ञा. के पूरी तरह उल्लंघन के कारण हुआ, जो विवाद का कारण बना और न.दि.न.प. ने परिसर को मानीटरिंग समिति के कार्यक्षेत्र के अधीन कर दिया।

तथापि, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति हेतु मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

4.4 अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु से ऊपर सेवा का अनियमित विस्तार

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु से ऊपर सेवा का विस्तार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.वि.) के आदेशों एवं इसके सेवा उपनियमों का उल्लंघन करते हुए अपने छ: कर्मचारियों को प्रदान किया, तथा उन्हें ₹1.20 करोड़ की कुल पारिश्रमिक प्रदान किए थे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.वि.) ने स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के निर्देश जारी करते हुए (मई 1998) कहा था कि आयु सेवानिवृत्ति[8] की आयु से ऊपर सेवा

[8] चिकित्सा एवं वैज्ञानिक विशेषज्ञों के अलावा, जिन्हें अलग-अलग मामले के आधार पर 62 वर्ष की आयु तक विस्तार दिया जा सकता है।

में विस्तार पर पूरी तरह पाबंदी होनी चाहिए। 60 वर्ष के सेवानिवृत्ति के अधिकतम आयु की शर्त, तथा सेवा को सेवानिवृत्ति से ऊपर बढ़ाने पर संपूर्ण पांबदी स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू थीं, जहॉ उनके नियम एवं विनियम, केन्द्र सरकार के नियमों एवं विनियमों से भिन्न थे। ऐसे मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय को का.प्र.वि. से मामला-दर-मामला आधार पर सेवा-निवृत्ति की आयु के प्रकार के विस्तार के संबंध में संपर्क करना भी अपेक्षित था।

वि.नि. 209(6) (iv) (क) के अनुसार सभी अनुदानभोगी संस्थानों, जो सहायता-अनुदान के रूप में अनुवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते है, को कर्मचारियों के सेवा के नियमों एवं शर्तों को सामान्यत: तैयार करना चाहिए,जो कुल मिलाकर, केन्द्र सरकार के समान श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों से अधिक नहीं होगी। असाधारण मामलों में वित्त मंत्रालय के परामर्श से छूट दी जा सकती है। रा.ना.वि. पूर्णरूपेण भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

रा.ना.वि. के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु को निर्धारित करने वाले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रा.ना.वि.) की सेवा उपविधि[9] व्यवस्था करती है कि सभी शैक्षणिक कर्मचारी सदस्य 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निवृत्त/सेवा-निवृत्त हो जाएंगे। तथापि, असाधारण मामलों में, शैक्षणिक स्टाफ का कोई भी सदस्य सेवा में वार्षिक विस्तार के आधार पर पुन: नियुक्त किया जा सकता है जब तक कि वो 62 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। इसी प्रकार, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के मामले में, सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष[10] थी। इसके अतिरिक्त, असाधरण परिस्थियों में, कर्मचारी को आगे दो वर्ष की अवधि हेतु पुन: नियुक्त किया जा सकता है।

---

[9] संस्कृति मंत्रालय द्वारा जून 1993 में अनुमोदित।

[10] वह कर्मचारी जो 26 अगस्त 1988 को या उसके पूर्व सेवा में थे, 60 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होंगे तथा जिन्होंने 26 अगस्त 1988 के बाद कार्य-ग्रहण किया वे 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2000-2012 के दौरान, रा.ना.वि. ने इस अवधि के दौरान, शैक्षणिक श्रेणी के सेवानिवृत्त होने वाले सभी पॉच कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति-काल से आगे बढ़ाया था। गैर-शैक्षणिक श्रेणी से भी एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति-काल के बाद रखा गया था। रा.ना.वि. ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय यानी संस्कृति मंत्रालय से इसके शैक्षणिक श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा-विस्तार हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। गैर-शैक्षणिक श्रेणी हेतु हालॉकि संस्कृति मंत्रालय द्वारा मामले की मंजूरी मिली थी, परंतु का.प्र.वि. की संस्वीकृति रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी। चूंकि मामले सेवा-काल में विस्तार के थे पुनर्नियुक्ति के नहीं, रा.ना.वि. के उपनियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ था। इस प्रकार रा.नि.वि. का सेवानिवृत्ति की आयु से ऊपर अपने कर्मचारियों की सेवा में विस्तार की कार्रवाई एवं उसके परिणामस्वरूप छ: कर्मचारियों को ₹1.20 करोड़ राशि के पारिश्रमिक **(ब्यौरे अनुबंध-III में है)** का भुगतान अनियमित था।

रा.ना.वि. ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2000 से आरंभ कर सेवा-काल विस्तार के सभी मामलों में रा.ना.वि. सोसाइटी ने केवल असाधारण मामलों में शिक्षकों को रखने के अपने विवेक का उपयोग किया था। गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के मामले में, मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसने आगे बताया कि चूंकि ये कर्मचारी पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुके थे, रा.ना.वि. उनसे वसूली करने में सक्षम नहीं होगा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2013) और बताया कि कमर्चारियों केा प्रदान किया गया विस्तार एक निष्पन्न कार्य था और इस चरण पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसने आगे बताया कि रा.ना.वि. द्वारा इसके कर्मचारी सदस्यों को भविष्य में ऐसा कोई विस्तार न दिया जाए,यह सुनिश्चित किया जाएगा।

यद्यपि, रा.ना.वि. एवं मंत्रालय दोनों ने ही लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं मामले को निष्पन्न कार्य के रूप में लिया, रा.ना.वि. को विवेकाधीन शक्तियॉ प्रदान करने वाली सेवा-उपविधियॉ अभी शेष हैं।

भा.नि.म.ले.प. के स्वायत्त निकायों हेतु प्रतिवेदन (पैरा 3.1, 2013 की प्रतिवेदन सं; 23) में एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता द्वारा सभी सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवा के रूटीन विस्तार का ऐसा ही मामला सूचित किया गया था। संस्कृति मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी स्वायत्त निकायों के, उनके कर्मचारियों की उन सेवा शर्तों, जो भारत सरकार के नियमों की संगति में नहीं थे, से संबंधित सभी विवेकाधीन शक्तियों की समीक्षा करे,एवं उनके उपविधियों में आवश्यक संशोधन का परामर्श दे।